न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
21 / 23	एफएसएस एक्ट, 2006	20 / 09 / 2023

1. श्री ओमप्रकाश राठौड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा।

बनाम

2. श्री अजय महावर पुत्र श्री कल्ला महावर, वेण्डर मैसर्स सीमा पाण्डे, जीएमयू, मोड्यूलर केटरिंग स्टॅाल आर–3, पी.एफ. नं. 2/3, गंगापुरसिटी स्टेशन (खाद्य कारोबारकर्ता) घर का पता– श्री अजय महावर पुत्र श्री कल्ला महावर, लोको मस्जिद के पास, वार्ड न.06, नसिया कोलोनी, गंगापुरसिटी स्टेशन, जिला–सवाईमाधोपुर–322201
3. मैसर्स सीमा पाण्डे, जीएमयू, मोड्यूलर केटरिंग स्टॅाल आर–3, पी.एफ. न. 2/3, गंगापुरसिटी स्टेशन–322201 (फर्म/लाईसेंसी) घर का पता– सीमा पाण्डेय, जेकब कम्पाउण्ड, विश्वनाथ सिनेमा रोड, सूरजगंज, इटारसी (एमपी) –461111
4. शिव एडिबल्स लिमिटेड, विशेष। प्लॉट नंबर। 1 एवं 2, रीको एग्रो फूड पार्क गांव–राणपुर, झालावाड़ रोड, कोटा (राज.)–324005 (निर्माता कंपनी)
5. श्री हिमांशू शर्मा पुत्र. श्री विनोद कुमार शर्मा, शिव एडिबल्स लिमिटेड के नामांकित व्यक्ति, विशेष प्लॅाट नं. 1 और 2, रिच एग्री फूड पार्क विला। –रणपुर, झालावाड़ रोड, कोटा (राज.) –324005 (नामांकित) घर का पता – श्री हिमाशु शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा, एफ–46, चंबल कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा (राज.)–3

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (आईआई) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स–2011

आवेदन पत्र के अनुसार ओम प्रकाश राठौर दिनांक 18.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राज०) में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे भारत के राजप स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा एव मानक प्राधिकरण) अधीसूचना नई दिल्ल दिनांक 18.04 17 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया है 2. श्रीमान् उपमुख्य चिकित्सा निदेशक, (स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण) एवं संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुब पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के आदेश संख्या प.म.रे./एचक्यू/एच/एच/0602/एफएसएसए दिना 11.05.2018 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण कोटा मण्डल आंवटित किया गया है। अधिसूचना एवं का क्षेत्र के आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायिक निर्णयन आवेदन के सलग्न है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.10.2022 को समय 10.15 बजे मेसर्स सीमा पाण्डे, जीएमयू, मोड्यूलर केटरिंग स्टॅाल आर–3. पी.एफ. नं. 2/3. गंगापुरसिटी स्टेशन का निरीक्षण किया। जहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री अजय महावर खाद्य पदार्थ "सदाबहार" रिफाईण्ड सोयाबीन तेल" से निर्मित खाद्य पदार्थों की विक्री कर रहे थे, उनको अपना परिचय दिया।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ "सदाबहार" रिफाईण्ड सोयाबीन तेल " में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 01 लीटर क्षमता की कुल 04 शील्ड पैकेट्स "सदाबहार" रिफाईण्ड सोयाबीन तेल" वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 640/– रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एंव तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं० 5–ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एंव गवाहन को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5–ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म स० 5–ए एवं मौका फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदीशुदा खाद्य पदार्थ "सदाबहार रिफाइंड सोयाबीन ऑयल 04 लीटर शील्डशुदा पैकेट्स को जो कि 1–1 लीटर क्षमता के थे, पैक्ड् अवस्था में 4 प्लास्टिक जार में 1–1 शील्ड पैकेट्स को रखकर पैक किया गया। इसके पश्चात् नमूने का लेवल तैयार कर लेवल पर मेरे द्वारा एंव खाद्य कारोबारकर्ता श्री अजय महावर एवं गवाह श्री लक्ष्मण ने हस्ताक्षर किये।अभीहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं क्रमांक डब्ल्यूसीआर/915–1049 दर्ज किया। इसके पश्चात् लेवल को प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को खाखी पेपर में लपेट कर [illegible] पश्चात् अभीहित अधिकारी पमरे जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एंव स्लिप नं [illegible]सी/915–1049 नीचे से ऊपर तक प्रत्येक पार्ट पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:23 IST
Reason: SelfAttested

मोहर से सिलवाली तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील लगाई गई, प्रत्येक पार्ट के ऊपर-नीचे, दाँये-बाँये लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं पेपर दोनों पर आए तथा मैंने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अलग करने के लिए। कार्यवाहकर्ता श्री अजय महावर को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त तैयार किये गये नमूने का चौथा भाग की जाँच प्रत्यायित प्रयोगशाला में करवाना चाहते हैं। लेकिन कार्यवाहकर्ता श्री अजय महावर ने इस बाबत कोई अनुरोध नहीं किया। दिये गये सूचना पत्र की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। कार्यवाहकर्ता श्री अजय महावर को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया की उक्त खाद्य सामग्री उसने कहाँ से खरीदी है। इसकी खरीद का कोई बिल, बीजक, कैश मेमो, इनवॉइस यदि हो तो प्रस्तुत करें लेकिन खाद्य कार्यवाहकर्ता श्री अजय महावर द्वारा इस संबंध में "सदाबहार रिफाइंड सोयाबीन ऑयल" की खरीद का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर खाद्य कार्यवाहकर्ता श्री अजय महावर गवाह एवं स्वंय ने हस्ताक्षर किये है। मौका फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलग्नहै।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म संख्या 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया है। एक नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमाकर फार्म सं० 6 की रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष तीन भाग सील बंद नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभीहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभीहित अधिकारी पमरे जबलपुर के पत्र क्रमाक पमरे/एचक्यू / एच/एच 6602/एफएसएसए दिनांक 29.11.22 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं० एलएस/3118/एक्ट/2022/3155 डीटीडी 01.11.22 के अनुसार "सदाबहार रिफाइंड सोयाबीन ऑयल" खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्डेड फूड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ "सदाबहार रिफाइंड सोयाबीन ऑयल" मिसब्राण्डेड फूड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। दौराने बहस अभियुक्तगण उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ "सदाबहार रिफाइंड सोयाबीन ऑयल" मिसब्राण्डेड फूड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस उपस्थित नहीं। अभियुक्त सं0 1 व 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि दिनांक 18.10.2022 को प्रार्थी द्वारा मैसर्स सीमा पाण्डेय जीएमयू मोड्यूलर केटरिंग स्टॉल आर-3 पी.एफ. नं0 2/3 गंगापुर सिटी स्टेशन से सदाबहार रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच वास्ते एकत्रित किया था यह बात सही है। उक्त नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं० एलएस/3118/एक्ट/2022/3155 डीटीडी 01.11.22 के अनुसार मिसब्राण्डेड होना पाया गया यह बात सही है। चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोटा द्वारा मेरी दुकान से सदाबहार रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का पैकेड नमूना एकत्रित किया गया था एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पैकेड फूड आईटम के लिए निर्माता कम्पनी ही जिम्मेदार होती है यह बात सही है। उक्त प्रकरण में पाई गई त्रुटि के लिए केवल कम्पनी ही जिम्मेदार है एवं प्रार्थी के ऊपर लगाये गये दोष से प्रार्थी को मुक्त करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र सहानुभूति पूर्वक प्रेषित है। अभियुक्त सं0 3 व 4 द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं० एलएस/3118/एक्ट/2022/3155 डीटीडी 01.11.22 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ "सदाबहार रिफाइंड सोयाबीन ऑयल" खाद्य पदार्थ का नमूना [illegible] था। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरल प्रयोगशाला में जाँच हेतु निर्धारित [illegible] में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही [illegible]

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:23 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 लगायत 4 को संयुक्त रूप से 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:23 IST
Reason: SelfAttested